बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के रिक्त पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन सूचना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन के लिए वांछित योग्यताधारकों से ऑन-लाइन (On-line) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संविदा आधारित पद का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	कनीय अभियंता (असैनिक)	204	रू. 27,000.00	असैनिक अभियंत्रण (AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो) में डिप्लोमा।
2.	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	30	रू. 27,000.00	यांत्रिक अभियंत्रण (AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो) में डिप्लोमा।

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता

- आवेदक भारत के नागरिक हो।

उम्र सीमा — पहली जुलाई, 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष।

3. विस्तृत नियोजन सूचना एवं आवेदन प्रपत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की वेबसाइट www.phed.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। आवेदन का लिंक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वेबसाइट www.phed.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएंगे।
4. Online आवेदन दिनांक 12.08.16 से दिनांक 29.08.16 के अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
5. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित करते हैं।

अभियंता प्रमुख -सह- विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

PR-5000(PHED)16-17 *Website : www.prdbihar.gov.in*

सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

बिहार सरकार

(234)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के रिक्त पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन सूचना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन के लिए वांछित योग्यताधारकों से ऑन–लाइन (On-line) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रपत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बेवसाइट www.phed.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित पद का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	कनीय अभियंता (असैनिक)	204	रू. 27,000.00	असैनिक अभियंत्रण (AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो) में डिप्लोमा।
2.	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	30	रू. 27,000.00	यॉत्रिक अभियंत्रण (AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो) में डिप्लोमा।

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता –

- आवेदक भारत के नागरिक हो।
- **उम्र सीमा** :– पहली जुलाई, 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम् अनारक्षित पुरूष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष।

3. मेधा सूची का निर्धारण

(i) अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जायेगी :–

(क) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता एवं मैट्रीक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 75 अंक (डिप्लोमा परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले आवेदन हेतु योग्य नहीं होंगे)

MIN. EDU. QUALIFICATION	% MARKS/ POINTS	% MARKS/ POINTS	% MARKS/ POINTS
% MARKS	80% and above	70% and less than 80%	60% and less than 70%
DIPLOMA IN ENGINEERING (CIVIL/MECHANICAL)	60	50	40
MATRICULATION (10^{TH})	15	10	5

(ख) संविदा के आधार पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्य अनुभव के लिए प्रति कार्यरत वर्ष के लिये 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक देय होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए, कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।

ii- विज्ञापित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की मेधा सूची लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की जायेगी। मेधा सूची में से विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को counselling के लिए मूल प्रमाण–पत्रों के साथ आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापित पदों की संख्या के चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ–साथ 1 : 3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो आगामी 3 वर्षों हेतु मान्य होगा।

iii- **चयन समिति– संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के चयन हेतु समिति निम्न प्रकार होगी–**

a. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग – **अध्यक्ष**
b. मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग – सदस्य
c. मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग – सदस्य
d. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी (अधीक्षण अभियंता पद के समकक्ष) – सदस्य
e. संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग – सदस्य सचिव

4. एक अभ्यर्थी से केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। एक से ज्यादा आवेदन किये जाने पर आवेदन रद्द माना जायेगा।
5. किसी भी परिस्थिति में पदस्थापन, कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के लिए गृह जिला में नहीं होगा और नियुक्ति उपरांत कर्मी को पदस्थापित मुख्यालय में रहना होगा।
6. **आरक्षणः–**

पद का नाम	**कुल संख्या**	**अनारक्षित**		**अनुसूचित जाति**		**अनुसूचित जनजाति**		**अत्यंत पिछड़ा वर्ग**		**पिछड़ा वर्ग**	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
कनीय अभियंता (असैनिक)	204	67	35	21	12	02	00	23	14	16	14
कनीय अभियंता (यांत्रिक)	30	10	05	03	02	00	00	03	02	03	02

उपर्युक्त पदों में विकलांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती एवं नाती–नतिनि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण शामिल है।

7. **एकरारनामाः–** कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) हेतु संविदा पर रखे जाने के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के बीच एकरारनामा किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकार अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार होंगे।
8. संविदा के आधार पर नियोजन अधिकतम एक वर्ष के लिए की जाएगी। कार्यहित अथवा विभागीय आवश्यकता को देखते हुए संतोषप्रद कार्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के सेवा विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
9. संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) किसी भी स्थिति में स्थायी पद अथवा समायोजन के हकदार नहीं होंगे।
10. संविदा अवधि समाप्ति के उपरांत यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय–पक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
11. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे।
12. संविदा पर नियोजित कर्मी स्थायीकरण/नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही वे इसके पात्र होंगे।
13. संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरूद्ध संविदा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सम्यक कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के रिक्त पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन सूचना

230

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन के लिए वांछित योग्यताधारकों से ऑन–लाइन (On-line) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संविदा आधारित पद का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	कनीय अभियंता (असैनिक)	204	रू. 27,000.00	असैनिक अभियंत्रण (AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो) में डिप्लोमा।
2.	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	30	रू. 27,000.00	यॉंत्रिक अभियंत्रण (AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो) में डिप्लोमा।

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता –

- आवेदक भारत के नागरिक हो।

  उम्र सीमा :– पहली जुलाई, 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम् अनारक्षित पुरूष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष।

3. विस्तृत नियोजन सूचना एवं आवेदन प्रपत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बेवसाइट www.phed.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। आवेदन का लिंक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वेबसाइट www.phed.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएगें।
4. Online आवेदन दिनांक 12.08.16 से दिनांक 29.08.16 के अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
5. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

4.8.2016

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

04.8.2016

14. **संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व** – लोक स्वास्थ्य अभियत्रंण विभाग द्वारा निर्धारित दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन नियोजित कर्मियों के द्वारा किया जायेगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा।
15. आवेदन का लिंक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वेबसाइट www.phed.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएगें।
16. Online आवेदन दिनांक–12.08.16 से दिनांक–29.08.16 के अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
17. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

9.8.2016

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

Shree Kant
04.8.2016